अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्याः 1154/ग्यारह–2222–(बजट–25)/2020 दिनांक 25–1–2021 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष–2020–21 में मानक मद–25 लघु निर्माण के अन्तर्गत थाना गृरूबक्शगंज एवं थाना सलोन जनपद रायबरेली की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 20,03,000–00 (रू0 बीस लाख तीन हजार मात्र) अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत/अनुमोदित निम्नांकित कार्यो के सम्पादन हेतु रजिस्टर्ड/प्रतिष्ठित फर्मो से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :–

कस	कार्य का नाम	टेण्डर फार्म शुल्क	अर्नेस्टमनी
01	थाना गुरूबक्शगंज जनपद रायबरेली की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	रू0 200/– प्रति फार्म	कार्य की धनराशि का दो प्रतिशत
02	थाना सलोन जनपद रायबरेली की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	रू0 200/– प्रति फार्म	कार्य की धनराशि का दो प्रतिशत

1– निविदा प्रपत्र दिनांक 12–2–2021 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क जमाकर प्राप्त किया जा सकता है।

2– उक्त कार्य हेतु निविदा दिनांक 12–2–2021 तक की अवधि में डाली जा सकती हैं, जिसे दिनांक 12–2–2021 को अपरान्ह 16.00 बजे क्षेत्राधिकारी नगर/कार्यालय द्वारा निविदादाता फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

3– निविदा में प्रस्तावित कार्य की संख्या को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेसिफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि का स्पष्ट विवरण/चार्ट संलग्न करना होगा।

4– सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने फर्म के आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्र प्रमाणपत्र आदि अभिलेख संलग्न करना होगा।

5– प्रत्येक निविदा के साथ प्रस्तावित कार्य की कुल धनराशि के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में (एफडीआर) के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त/गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार की जायेगी।

7– कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

8– कोई अधिवक्ता जो बार काउंसिल में पंजीकृत होगा, निविदा में भाग नहीं ले सकता है। इसी प्रकार ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे न तो बार काउंसिल के पंजीकृत अधिवक्ता हैं न ही उनकी फर्म ब्लैक लिस्टेड की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रहेगा।

9– उक्त कार्यो से सम्बन्धित शर्ते, निर्देश एवं आगणन कार्यालय में उपलब्ध हैं। इच्छूक फर्मे किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पत्र संख्याः भ–81/2021
दिनांकः जनवरीः ,2021

(श्लोक कुमार)
पुलिस अधीक्षक,
रायबरेली।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु :–

1– पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक कम्प्यूटर, जवाहर भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर कराने का कष्ट करें। (सीडी संलग्न है)

2– पुलिस आयुक्त लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, खीरी, लखनऊ ग्रामीण, बाराबॅकी, अमेठी, सेनानायक 35वीं, 10वीं, 25वीं, 30वी, 27वीं, 11वीं, 2वीं, वाहिनी पीएसी।

3– जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जिला उद्योग अधिकारी जनपद रायबरेली।

5– अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी/प्रतिसार निरीक्षक जनपद रायबरेली।

6– कार्यालय नोटिस बोर्ड/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु।